



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247766
CG-DL-E-01082023-247766

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3298]
No. 3298]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

का.आ. 3448(अ).—जबकि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक युक्त दवा सूत्र के उपयोग से पशुओं के लिए जोखिम शामिल होने की संभावना है;

और जबकि, उक्त दवाओं के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में जानवरों के उपयोग के लिए निम्न लिखित के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाना आवश्यक और समीचीन है।

(i) केटोप्रोफेन और इसके सूत्रण; और

(ii) एसिक्लोफेनाक और इसके सूत्रण,

इसलिए, अब, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के बाद, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाती है, अर्थात्: -

"(i) केटोप्रोफेन और पशु उपयोग के लिए इसके सूत्रण

(ii) एसिक्लोफेनाक और जानवरों के उपयोग के लिए इसके सूत्रण".

[फा. सं. एक्स.11035/65/2023-डीआरएस]

आराधना पटनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi the 31st July, 2023

S.O. 3448(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of drug formulations containing Ketoprofen and Aceclofenac are likely to involve risk to animals;

And whereas, safer alternatives to the said drugs are available;

And whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit the manufacture, sale and distribution of—

(i) Ketoprofen and its formulations; and

(ii) Aceclofenac and its formulations,

for animal use;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), and after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, the Central Government, hereby prohibits the manufacture, sale and distribution of the following drugs, with immediate effect, namely:-

“(i) Ketoprofen and its formulations for animal use

(ii) Aceclofenac and its formulations for animal use”.

[F. No.X.11035/65/2023-DRS]

ARADHANA PATNAIK, Jt. Secy.